हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

संख्याः ई0एक्स0एन0–एफ(1)–3/2025–   तारीख, शिमला–2   21 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) से संलग्न अनुसूची–1 में संशोधन हेतु प्रारूप को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ई0एक्स0एन0–एफ(1)–3/2025 दिनांक 06.03.2025 को, राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश तारीख 06–03–2024 में प्रकाशित किया गया था परन्तु नियम अवधि के भीतर इस बाबत कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची–। को प्रथम अप्रैल, 2025 से निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित करते हैं:–

अनुसूची–1
(धारा 3 देखें)

क्रम संख्या	वाहनों की विशिष्टियां	प्रतिदिन या उसके भाग के पथकर की दर	प्रति तिमाही या उसके भाग के पथकर की दर	प्रतिवर्ष या उसके भाग के पथकर की दर
1	2	3	4	5
1	भारी मालवाहक वाहन वाहन जिनकी लदान क्षमता (क) 250 क्विंटल से अधिक	720 रू0	स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का तीस गुना ।	स्तम्भ (4) में यथा विनिर्दिष्ट दर का चार गुना
	(ख) 120 क्विंटल से अधिक व 250 क्विंटल तक	570 रू0	यथोपरि	यथोपरि
	(ग) 90 क्विंटल से अधिक व 120 क्विंटल तक	320 रू0	यथोपरि	यथोपरि
	(घ) 20 क्विंटल से 90 क्विंटल तक	170 रू0	यथोपरि	यथोपरि
2	छोटे माल–वाहन जिनकी लदान क्षमता 20 क्विंटल से कम हो (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं)	130 रू0	यथोपरि	यथोपरि
3	यात्री वाहन में बैठने की क्षमताः 12 यात्रियों से अधिक	180 रू0	यथोपरि	यथोपरि

Addl. CST & E (HQ./GST/Excise/IT/A.Tax./TAU/LTPU)
Jt. CST & E (HQ./GST/Excise/IT/A.Tax/TAU/EIU/Legal)
Dy. CST & E (HQ./GST/IT/EIU/Excise/LTPU/Legal/A.Tax)
Dy. / Asstt. Controller (F&A)
Supdt. Grade-I/ P.I.O./NODAL OFFICER
PS/PA/Rea
Commissi State Tax & Excise,
Himacha
State Taxes and Excise Deptt
8856
24 APR 2025
Shimla

	यात्री–वाहन (निजी वाहन सहित)(i) बैठने की क्षमताः 6–12 यात्रियों तक (चालक सहित)(हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं)	110 रू0	यथोपरि	यथोपरि
	(ii) अन्य हल्के मोटर वाहन जोकि सार्वजनिक वाहक अथवा निजी वाहन के रूप में पंजीकृत हों : बैठने की क्षमता : 5 यात्रियों तक (चालक सहित) (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं)	70 रू0	स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 30 गुना ।	स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 100 गुना ।
	(iii) टोल बैरियर के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी पंजीकृत वाहन के मालिक (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं)	70 रू0	200 रू0	400 रू0
5	सार्वजनिक वाहक या प्राईवेट वाहक अनुज्ञा पत्र सहित चलने वाले ट्रैक्टर (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं)	70 रू0	यथोपरि	यथोपरि
6	मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं)	30 रू0	स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 30 गुना ।	स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 100 गुना ।

आदेश द्वारा
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

पृष्ठांकन संख्याः ई0एक्स0एन0–एफ(1)–3 / 2025 तारीखः शिमला–2 21/04/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः–

1 आयुक्त, राज्य कर एंव आबकारी विभाग हिमाचल प्रदेश, कसुम्पटी शिमला–9।

2 गार्ड नस्ति / अतिरिक्त प्रतियां।

(हरबंस सिंह ब्रसकोन)
विशेष सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2